उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-62/2017/520/92-2-17-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति अधिशासी अभियंता द्वारा कराये गये कतिपय सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिए श्री त्रिपाठी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-131/92(प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10.04.2014 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 21-07-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री त्रिपाठी पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया। ।

3- अतएव एतदद्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-131/ 92(प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10.04.2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-62/2017/520(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in